न्यायालय कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक/009 /अ-121 वर्ष 2023-2024

::आदेश::

पन्ना, दिनांक 27/04/2023

महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 2 पन्ना म.प्र. के द्वारा पैकेज क्रमांक एम.पी. 28702 के अंतर्गत निर्माणाधीन मड़वा से रैपुरा बघवारकला मार्ग के निर्माण से प्रभावित हो रही वन भूमि 1.90 हे. बदले गैर वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम खजरूट तहसील अमानगंज में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। तथा पत्र क्रमांक 129 दिनांक 07.03.2023 के द्वारा यह भी लेख किया है कि वन साकर तालाब योजना (जिला सतना) के निर्माण हेतु 11 हे. राजस्व भूमि वन विभाग को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 643/भू-अर्जन/2014 पन्ना, दिनांक 26.04.2014 से हस्तांतरित की गई थी किन्तु उक्त परियोजना के निरस्त होने के फलस्वरूप 11 हे. राजस्व भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आबंटित है। म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माणाधीन विषयांकित परियोजना हेतु ग्राम खजरूट तहसील अमानगंज के खसरा नंबर 17 के रकवा 16.600 हे. मे से 1.90 हे. भूमि को समायोजित कर अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

नायब तहसीलदार वृत्त सुनवानीकला तहसील अमानगंज के द्वारा ग्राम खजरूट की आराजी नंबर 17 रकवा 16.600 हे. में से जुज रकवा 1.900 हे. भूमि चिन्हित की गई। उक्त जमीन मड़वा से रैपुरा व्हाया बघवार कला पैकेज एम.पी. 28702 के अंतर्गत चिन्हित की गई। उक्त जमीन चिन्हित करते समय श्री बृजकिशोर खरे, परिक्षेत्र सहायक पवई, प्रताप सिंह वन रक्षक एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पन्ना से नियाज मोहम्मद एवं हल्का पटवारी उपस्थित रहे। पटवारी अभिलेख में खसरा नंबर 17 रकवा 16.600 हे. भूमि म.प्र. शासन वन के रूप में दर्ज है। प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) गुनौर के द्वारा तहसीलदार से प्रतिवेदन से सहमत होते हुए लेख किया है कि ग्राम खजरूट की आराजी नंबर 17 रकवा 16.600 हे. में से जुज रकवा 1.900 हे. भूमि चिन्हित की गई। उक्त जमीन मड़वा से रैपुरा व्हाया बघवार कला पैकेज एम.पी. 28702 के अंतर्गत चिन्हित की गई उक्त जमीन चिन्हित करते समय श्री बृजकिशोर खरे, परिक्षेत्र सहायक पवई, प्रताप सिंह वन रक्षक एवं म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पन्ना से नियाज मोहम्मद एवं हल्का पटवारी उपस्थित रहे। पटवारी अभिलेख में खसरा नंबर 17 रकवा 16.600 हे. भूमि म.प्र. शासन वन के रूप में दर्ज है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतएव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुनौर एवं नायब तहसीलदार वृत्त सुनवानी तहसील अमानगंज के प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों, नक्शा, खसरा, पंचनामा एवं स्थल जांच प्रस्ताव के आधार पर निर्माणाधीन मड़वा से रैपुरा वाया बघवारकला मार्ग के निर्माण में प्रभावित हो रही वन भूमि 1.90 हे. के बदले ग्राम खजरूट की आराजी नंबर 17 रकवा 16.600 हे. में से जुज रकवा 1.900 हे. भूमि प्रदाय किया जाती है। आराजी नंबर 17 रकवा 16.600 हे. भूमि पूर्व से ही वन विभाग को आबंटित है अतः उक्त आबंटित भूमि रकवा 16.600 में से 1.90 हे0 भूमि का प्रयोजन वनसागर तालाब योजना के स्थान पर मड़वा से

कलेक्टर
जिला-पन्ना (म.प्र.)

रैपुरा वाया मधवारकला मार्ग (पैकेज क्रमांक MP 28702) में परिवर्तित किया जाता है। वन सागर तालाब योजना निरस्त होने से तहसीलदार अमानगंज को आदेशित किया जाता है कि वन सागर तालाब योजना में वन विभाग को हस्तांतरित भूमि में से 1.900 हे. भूमि को छोड़कर शेष भूमि वापस राजस्व विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करें। आदेश पृथक से जारी हो। आदेश प्रति संबंधितों को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जाये। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार अमानगंज को भेजा जाये।

(संजय कुमार मिश्र)
कलेक्टर
जिला- पन्ना (म.प्र.)
जिला पन्ना मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/318 /प्रवाचक/2023 पन्ना, दिनांक 27/04/2023

प्रतिलिपिः–

1– वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वन मण्डल पन्ना म.प्र.

2– महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परियोजना क्रियान्वयन इकाई 2 पन्ना म.प्र.।

3– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुनौर जिला पन्ना म.प्र.।

4– तहसीलदार अमानगंज की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला पन्ना मध्यप्रदेश
जिला- पन्ना (म.प्र.)